कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 7822 /9–2 दिनांक, पिथौरागढ़, 27, मई, 2024 ।

सेवा में,

Chairman,
Honourable NGT,
New Delhi.

विषयः– OA no. 78/2023 में Project Proponent द्वारा प्रस्तुत किये गये वृक्षारोपण योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में सादर अवगत कराना है कि OA no. 78/2023 अंतर्गत विचाराधीन प्रकरण में Project Proponent द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 01.05.2024 के क्रम में वृक्षारोपण योजना को मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सादर अवगत कराना है कि सम्बन्धित खनन योजना हेतु प्राप्त एनवायरमेंट क्लीरियेंस (EC) में अधिरोपित शर्त 2.18 के अनुसार Project Proponent द्वारा न्यूनतम 18000 पौंधो का वृक्षारोपण वन विभाग की देख–रेख में किया जाना है।

प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना के अवलोकन करने पर निम्न कमियां पाई गई हैं, जिनका निराकरण किया जाना नितान्त आवश्यक है–

1. Project Proponent के Mining Plan के अनुसार 05 वर्षो में प्रतिवर्ष 60 पौंधो का रोपण अर्थात कुल 300 पौंधो का रोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसको उक्त वृक्षारोपण योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना में 300 अतिरिक्त पौंधो का भी रोपण सम्मिलित किया जाए।
2. वृक्षारोपण योजना में किसी भी प्रकार का अग्रिम मृदा कार्य (Advance Soil Work) सम्मिलित नहीं किया गया है। अग्रिम मृदा कार्य के अंतर्गत वृक्षारोपण के घेरबाड़, पौध रोपण हेतु गढ्ढे खुदान इत्यादि कार्य भी किये जाते हैं, जिससे वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित की जा सके। अतः वृक्षारोपण योजना में अग्रिम मृदा कार्य को भी सम्मिलित किया जाए।
3. वृक्षारोपण योजना में रोपण की जाने वाली प्रजातियों का चयन स्थलानुसार उपयुक्त नहीं पाया गया है। उक्त प्रजातियों के स्थान पर बांज, बुरांश, तेजपात, आंवला, रीठा, देवदार, अखरोठ, पदम, फल्यांट, हरड़ आदि प्रजातियों का रोपण वृक्षारोपण योजना में सम्मिलित किया जाना उचित होगा।
4. एनवायरनमेंट क्लीयेरेंस (EC) में अधिरोपित शर्त के अनुसार Project Proponent द्वारा खनन स्थल के चारो ओर 5 मी0 चौड़ाई में झाड़ियों का रोपण किया जाना है। अतः खनन स्थल के चारो ओर 5 मी0 चौड़ाई में झाड़ियों का रोपण भी वृक्षारोपण योजना में सम्मिलित किया जाए।
5. एनवायरनमेंट क्लीयेरेंस (EC) में अधिरोपित शर्त के अनुसार कराये जाने वाले वृक्षारोपण का 03 वर्षो तक अनुरक्षण भी किया जाना है, जिस हेतु वृक्षारोपण चौकीदार की व्यवस्था आदि को भी वृक्षारोपण योजना में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्तानुसार Project Proponent द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना में उपरोक्तानुसार पायी गयी कमियों के निराकरण हेतु Project Proponent को आदेशित करना चाहें।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः– 7822 /9–2 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– सुश्री अंजली राजपूत, पैनल अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि वृक्षारोपण योजना पर उपरोक्तानुसार की गयी टिप्पणियों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संज्ञान में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।